हिंदी सलाहकार समिति

- *विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की अपनी हिंदी सलाहकार समिति होती है। संबंधित मंत्रालय के मंत्री इसके अध्यक्ष और मंत्रालय के सचिव इसके सदस्य सचिव होते हैं।*

- *सामान्यत: 30 सदस्य इसमें होते हैं जिनमें से 15 सरकारी तथा 15 गैर-सरकारी होते हैं। इन समितियों में लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का प्रतिनिधि, हिंदी से जुडी स्वैच्छिक संस्था का प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य, संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा नामित हिंदी व राजभाषा के विद्वान गैर- सरकारी सदस्य होते हैं ।*

- *समिति की बैठकों में संबद्ध मंत्रालय/ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेते हैं। संसद सदस्यों तथा हिंदी के विशिष्ट विद्वानों के अलावा संबद्ध मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। वर्ष में कम से कम इसकी दो बैठकें होती है। यह समिति अपने मंत्रालय/ विभाग/ उपक्रम में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करती है तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढाने तथा राजभाषा नीति के अनुपालन केलिए ठोस उपाय सुझाती है।*

****